

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

हिण्डोली

किस्म मुकदमा.....

नं.....

सन्.....

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नका अहकाम हुक्म को संज्ञा
30/6/25	पत्रावली पेश। अपाधी सं. 2,3,6 को पेशा अवसर दिने जाने पर भी आदिनांक तक जवाब पेश नही करने से जवाब अपाधी सं. 2,3,6 बन्द किया जाता है। अपाधी सं. 7 फौरमल परेकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है। वरते बंदुख दिनांक- 11/07/25 को पेश हो।	
11/7/25	<p style="text-align: center;">पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक.....29/8/25..... को पत्रावली पेश हो।</p>	
29/8/25	पत्रावली पेश। बंदुख वकील सर्वकारत चुनी गई। वरते आदेश दिनांक - 12/09/25 को पेश हो। अब तक T.I. अवधि बढाई जाती है।	
12/9/25	पत्रावली पेश। प्रांपत्र (प्रकरण) से सम्ब. मूल अपील सरख्या 1/अपील/2024 बउन्वन् प्रो. ईसमाईल वर्ग. <u>पु. कजोडी वर्ग.</u> निर्णय दिनांक- 12/09/2025 से स्वारीज की जा चुकी है।	

ली

दिनांक
म -

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

नम्बर व तारीख
काम जो
की तामील
में जारी हुए

अतः प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित
नहीं होने से कार्यवाही उसी स्तर पर ड्रॉप
की जाकर प्रा.पत्र प्राचीन (प्रकरण) खारिज
किया जा रहा है। पञ्जावली फैसल नुमा की
जाकर बाद तकमिल नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो

(Signature)
उपसचिव अधिकारी
दिल्ली